MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Neeraj Dangi: Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Rajmani Patel (Madhya Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand for age relaxation in the recruitment for Economically Weaker Sections (EWS) candidates

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, मोदी सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने अनारक्षित वर्गों के बच्चों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया, लेकिन आप देखेंगे, तो पाएंगे कि उसमें ऐसी शर्तें लगाई गई हैं, जिनकी वजह से अनारक्षित वर्गों के गरीब परिवारों की जो प्रति सीट संख्या है, वह बहुत कम है। उदाहरण के लिए, यूपीएसई रिक्रूटमेंट में अनुसूचित जाति वर्गों के 1,950 बच्चे एक सीट के लिए आ रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एक सीट के लिए 1,355 एप्लिकेंट्स आ रहे हैं, ओबीसी में 1,225, लेकिन ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से केवल 569 आ रहे हैं। इसी तरह से आप अन्य कैटेगरीज़ में भी देखेंगे, चाहे वह यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज हों, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज़ हों। इसी तरह से युवतियों की संख्या भी प्रति सीट बहुत कम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनकी आयु और दूसरी शर्तों में कुछ relaxation दिया जाए। उदाहरण के लिए एससी, एसटी वर्ग के जो छात्र हैं, उनको केंद्रीय सेवाओं में आयु की छूट लगभग 5 वर्ष है, ओबीसी के बच्चों के लिए 3 वर्ष है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बच्चों के लिए age-relaxation नहीं है।

मेरी माननीय सदन के नेता और हमारे प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस सेक्शन के लिए भी, अनारक्षित वर्ग के जो छात्र-छात्राएं हैं, उनको भी उसमें age-relaxation दिया जाना चाहिए। उनको लगभग 2 साल का age-relaxation दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कई राज्यों ने, जैसे राजस्थान ने 5 साल कर दिया है, गुजरात ने 5 साल कर दिया है, हरियाणा ने 5 साल कर दिया है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने भी 5 साल का relaxation दे दिया है, इसी तरह से केंद्र सरकार को भी इसमें age-relaxation देना चाहिए।

इसी प्रकार कई जगह उन्होंने इन्कम की लिमिट भी हटा दी है। इसमें गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इसमें अनारक्षित वर्गों के छात्र-छात्राओं को age और अन्य शर्तों में भी relaxation दिया जाए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Digvijaya Singh: Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Ajay Pratap Singh (Madhya Pradesh), Shri Kailash Soni (Madhya Pradesh), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar

(Andhra Pradesh), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Shri Rajmani Patel (Madhya Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Concern over various problems faced by journalists

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, लोकतंत्र बिना पत्रकारिता के अधूरा है और मैं सरकार के प्रति बहुत आभारी हूं कि 1867 में बने काले कानून को समाप्त करके पत्रकारों के हित में नया कानून बनाया गया।

महोदय, मैं एक विषय के संबंध में कहना चाहती हूं। पहले मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलवे रिज़र्वेशन में डिस्काउंट मिलता था, परंतु कोरोना काल के बाद से वह डिस्काउंट मिलना रुक गया है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पत्रकारों के निवास क्षेत्र अथवा कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले मंडल के सभी टोल्स पर टोल टैक्स फ्री किया जाए और जो कोरोना काल से पहले उनको रिज़र्वेशन में डिस्काउंट मिलता था, उस डिस्काउंट को दोबारा चालू कर दिया जाए। बिना पत्रकारों के सही समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं हो पाता है, यह भी दिक्कत की बात है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि पत्रकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों मांगों पर सरकार ध्यान दे। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shrimati Seema Dwivedi: Dr. Ashok Bajpai (Uttar Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. K. Laxman (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha) Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Shri Aneel Prasad Hegde.

Concern over negative impacts of Genetically Modified (GM) Crops on the Indian People

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE (Bihar): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on an important issue of the health and socio-economic impacts of GM crops on the Indian people. The Bt-gene (GMO) was introduced into Hybrid Cotton in India, the only country in the world to do so, as a 'value-capture mechanism'. Conservative estimates indicate that Indian farmers may have paid an additional amount of Rs. 14,000 crore for Bt cotton seeds and trait fees between 2002 and 2018. The hybrid technology disallows seed-saving by millions of small farmers.